न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

1. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1874 सन 2026
CNR. No.UPSP010050112026

1. सादिक पुत्र सैय्यद हसन।
2. आकिल हसन पुत्र जव्वाद।
निवासीगण ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

2. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2011 सन 2026
CNR. No.UPSP010054062026

1. फैसल पुत्र सैय्यद।
2. सिपतैन हुसैन पुत्र सैय्यद।
3. मोहतरम पुत्र अख्तर।
निवासीगण ग्राम सांपला खत्री थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 225/2026
धारा 191(2),115(2), 352, 351(3), 117(2),109(1) बी0एन0एस0
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

25.06.2026

उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या 225/2026 थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर से सम्बन्धित हैं, जिस कारण उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण **सादिक, आकिल हसन, फैसल, सिपतैन हुसैन एवं मोहतरम** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। जमानत प्रार्थनापत्रो के साथ सादिक पुत्र सैय्यद हसन, आकिल हसन पुत्र जव्वाद, फैसल पुत्र सैय्यद, सिपतैन हुसैन पुत्र सैय्यद एवं मोहतरम पुत्र अख्तर के शपथपत्र दाखिल किए गए हैं, जिनके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नही है।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी इन्तसार द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 29.03.2026 को करीब 06:00 बजे शाम अपने घर से घ ोर जाने के लिये रास्ते पर आया तो सादिक, फैसल, सिपतैन, आकिल एवं मोहतरम तथा अन्य व्यक्तियों ने वादी पर लाठी डण्डे व धारदार हथियार से हमला कर दिया। शोर सुनकर घर से वादी का भाई शमशाद व भतीजा आजम ने आकर बीच बचाव कराया तो उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वादी के भतीजे आजम के सिर में काफी चोटें आई, जिसका मैडिकल कराया। करीब तीन साल पहले वादी के सादिक पर 14,00,000/–रूपये थे जिसमें उसने 4,00,000/–रूपये वापस कर दिये व 10,00,000/–रूपये सादिक की तरफ बाकी थे। वादी द्वारा उक्त रूपये फोन पर मांगने पर सादिक द्वारा वादी को गन्दी–गन्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी गयी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हें मुकदमा उपरोक्त में झूठा आलिप्त किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का उक्त मामले की तथाकथित घटना से कोई मजलब या वास्ता किसी प्रकार का नहीं है। उक्त मामला क्रॉस केस से सम्बन्धित है। प्रार्थी फैसल के साथ वादी मुकदमा इन्तसार व शमशाद व शहजाद, आजम व सफदर उर्फ चोना ने घातक हथियारों से मारपीट की तथा शमशाद ने अपने हाथ में लिये पंच से फैसल के मुंह पर वार किया जिससे प्रार्थी फैसल का दांत टूट गया और फैसल का मैडिकल हुआ। इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या–243/2026 अन्तर्गत धारा 191(2),115(2),118(2) थाना देवबन्द पर दर्ज है। वादी पक्ष अभियुक्तगण से रंजिश रखते हैं और इस कारण प्रार्थी/अभियुक्तगण को झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अपराध उक्त धाराओं का नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण उक्त मामले की विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः उन्हें अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर वादी के साथ गाली गलौच करते हुए, वादी व उसके भाई शमशाद तथा भतीजा आजम को जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डे व धारदार हथियार से मारपीट कर उन्हें गम्भीर उपहति कारित करने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। केस डायरी पर उपलब्ध आहत आजम की चिकित्सीय परीक्षण आख्या मे उसके बांये कान के 11से.मी. उपर सिर के बांयी ओर खोपड़ी तक गहरे फटे हुए घाव की एक चोट, चेहरे के बांयी ओर बांये कान के पास चोट तथा बांये कंधे के उपरी भाग पर लाल खरोंच होना तथा आहत की उपरोक्त चोटो को जेरे निगरानी रखते हुए, एक्सरे की सलाह दिया जाना उल्लेखित है। आहत आजम की एक्सरे आख्या के अनुसार आहत आजम के सिर में बांयी तरफ पैरिएटल हड्डी में फ्रैक्चर होना, आहत की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या एवं आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक के बयान के अनुसार आहत के सिर में बांयी तरफ फ्रैक्चर पाये जाने तथा दोनों कानों में चोट के कारण कम सुनाई देने की वजह से उसकी उक्त चोटों को गम्भीर प्रकृति का होना दर्शाया गया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–10 के अनुसार आहत आजम की चिकित्सा परीक्षण आख्या, चिकित्सक के बयान के आधार पर मामले में धारा 110 बी0एन0एस0 का विलोपन करते हुए मामले में धारा 109(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि किया जाना दर्शित है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा तर्क किया गया है कि घटना के दौरान अभियुक्तगण द्वारा आहत आजम के साथ मारपीट कर उसके सिर पर खोपड़ी तक गहरे घाव के साथ–साथ उसके कन्धे एवं कान जैसे शरीर के मर्मस्थलो पर भी गम्भीर चोटे कारित की गयी हैं। आहत आजम की एक्सरे आख्या एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार आहत आजम के सिर में बांयी तरफ पैरिएटल हड्डी में फ्रैक्चर होना तथा दोनों कानों में चोट के कारण कम सुनाई देना पाये जाने पर मामला में धारा 110 बी0एन0एस0 का विलोपन कर धारा 109(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है। प्रकरण धारा 109(1) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित तथा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना केस डायरी पर संकलित साक्ष्य से प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रथम दृष्टया परिलक्षित है। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किए जाने पर उनके द्वारा साक्ष्य प्रभावित किए जाने की सम्भावना है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं अभियुक्तगण के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोश पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **सादिक, आकिल हसन, फैसल, सिपतैन हुसैन एवं मोहतरम** की तरफ से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते है।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2011/2026 की पत्रावली पर रखी जाये।

इस जमानत आदेश की प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को प्रेषित की जाये।

दिनांकः–25.06.2026

(अभय कृष्ण तिवारी)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
आई.डी.– यू0पी0 6199